

**पेट्रोलियम प्रचालनों
के लिए
स्थल पुनर्स्थापन
और परित्याग दिशानिर्देश**

अप्रैल, 2018

विषय सूची

पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए

स्थल पुनर्स्थापन और परित्याग दिशानिर्देश

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	03
2.	परित्याग योजना से संबंधित सरकारी प्राधिकरण और उनकी विशिष्ट भूमिका	03
3.	विनियामक अपेक्षाएं.....	04
4.	पर्यावरणी प्रभाव आकलन (ईआईए)	05
5.	स्वभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली रेडियोधर्मी सामग्री का प्रबंधन (एनओआरएम) ...	05
6.	स्थल पुनर्स्थापन निधि	05
7.	स्थल परित्याग की शुरुआत	07
8.	भारत के अपतटीय उत्पादन स्थलों को बंद करने से संबंधित दिशानिर्देश	08
9.	भारत के तटीय उत्पादन स्थलों को बंद करने से संबंधित दिशानिर्देश	16

1. प्रस्तावना

निम्नलिखित खंड, अपतटीय और तटीय, तेल और गैस के उत्पादन स्थल के परित्याग से संबंधित हैं। ये दिशानिर्देश अनुदेशात्मक नहीं हैं, लेकिन किन्तु मौजूदा नियामक ढांचों के अंतर्गत इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं।

नोट: विभिन्न शब्द जैसे स्थल पुनर्स्थापन योजना, परित्याग योजना, डीकमिनिंग योजना, स्थल पुनर्स्थापन, परित्याग का एक - दूसरे के लिए प्रयोग किया गया है। तथापि, उन सबका अभिप्रेत एक ही दस्तावेज है।

2. परित्याग योजना से संबंधित सरकारी प्राधिकरण और उनकी विशिष्ट भूमिका

नीचे सूचीबद्ध विभिन्न प्राधिकरणों के उत्तरदायित्व निम्नवत वर्गीकृत किए गए हैं:-

- i. अनुमोदन भूमिका: इन प्राधिकरणों को परित्याग योजना मंजूर करनी होगी।
- ii. परामर्शी भूमिका : ये प्राधिकरण परामर्शी भूमिका अदा करेंगे, परित्याग योजना पर अपनी निविष्टियां, यदि कोई है, समयबद्ध तरीके से प्रदान करेंगे।
- iii. केवल सूचनार्थ : इन प्राधिकरणों को परित्याग योजना के संबंध में सूचित किया जाएगा।

परित्याग योजना तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) (केवल अपतटीय उत्पादन स्थलों के लिए) / खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) (केवल तटीय उत्पादन स्थलों के लिए) को प्रस्तुत की जाएगी और उनकी एक - एक प्रति, इन दिशानिर्देशों के अनुरूप परित्याग योजना की प्रस्तुति के 45 दिवसों के अंदर, टिप्पणी, यदि कोई है, हेतु 'परामर्शी भूमिका' वाले प्राधिकरणों को भेजी जाएगी।

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) - अनुमोदन भूमिका [प्रबंधन समिति (एमसी) के माध्यम से]
- हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) - अनुमोदन भूमिका [प्रबंधन समिति (एमसी) के माध्यम से]
- खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) - अनुमोदन भूमिका (केवल तटीय उत्पादन स्थलों के लिए)

- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) - अनुमोदन भूमिका (केवल अपतटीय उत्पादन स्थलों के लिए)
- रक्षा मंत्रालय (एमओडी) - परामर्शी भूमिका (केवल अपतटीय उत्पादन स्थलों के लिए)
- नौवहन मंत्रालय (एमओएस) - परामर्शी भूमिका (केवल अपतटीय उत्पादन स्थलों के लिए)
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (डीओएफ) विभाग - परामर्शी भूमिका (केवल अपतटीय उत्पादन स्थलों के लिए)
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) - परामर्शी भूमिका (12 समुद्री मील तक / ईपी अधिनियम के क्षेत्राधिकार के तटीय उत्पादन स्थलों और अपतटीय उत्पादन स्थलों के लिए)
- राज्य समुद्री बोर्ड - केवल अपतटीय उत्पादन स्थलों के लिए परामर्शी भूमिका
- जल संसाधन मंत्रालय - केवल सूचनार्थ (केवल तटीय उत्पादन स्थल)
- राज्य सरकारें (संबंधित विभाग) - केवल सूचनार्थ (केवल तटीय उत्पादन स्थल)
- तटवर्ती राज्य सरकार अपतटीय उत्पादन स्थल से निकटतम - केवल सूचनार्थ (केवल अपतटीय उत्पादन स्थलों के लिए)
- राज्य, जिला और स्थानीय प्राधिकरण/संबंधित विभाग - केवल सूचनार्थ (केवल तटीय उत्पादन स्थलों के लिए)

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान, संविदाकारों को मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुरूप संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक परमिट और सहमति लेना आवश्यक होगा।

3. विनियामक अपेक्षाएं

डीकमिशनिंग परियोजना क्रियान्वित करने वाले संविदाकारों को प्रासंगिक नियमों की स्पष्ट समझ होना आवश्यक है।

डीकमिशनिंग परियोजना प्रशासन को विनियमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। विनियमों के अलावा, प्रासंगिक पृष्ठभूमि जानकारी और परिसंपत्ति इतिहास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए जो डीकमिशनिंग गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इनमें तटीय, संरक्षित क्षेत्र, जल और लुप्तप्रायः प्रजातियां और कृत्रिम जलमग्न संरचना (रीफ) कार्यक्रम पर प्रभाव से संबंधित कतिपय प्रावधान शामिल हैं, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं हैं।

अपतटीय उत्पादन स्थलों की डीकमिशनिंग से संबंधित विनियम तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) द्वारा प्रशासित होंगे, जबकि खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) तटीय

उत्पादन स्थलों की डीकमिशनिंग का प्रशासन करेगा। इसके अलावा, यह विचार किया गया है कि अपतटीय प्लेटफार्मों के लिए कृत्रिम रीफ स्थापना ओआईएसडी द्वारा प्रशासित होंगे।

टिप्पणी 1: पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए ये स्थल पुनर्स्थापन दिशानिर्देश केवल उत्पादनकारी क्षेत्रों से उत्पादन बंद होने के उपरांत क्षेत्र परित्याग पर लागू होते हैं। तथापि, संविदाकार को प्रबंधन समिति के अनुमोदन से *स्टैंड अलोन* आधार पर कूप ढंकने (प्लगिंग) और परित्याग (पी एंड ए) तथा फ्लशिंग / सफाई गतिविधियां निष्पादित करने में थोड़ी छूट ले सकता है।

टिप्पणी 2 : संविदाकार, संविदाकार कार्य समापन फाइल (डोजियर) संबंधी तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट ओआईएसडी / डीजीएमएस और डीजीएच को प्रस्तुत करेगा जिसे स्थल पुनर्स्थापन / डीकमिशनिंग / परित्याग कार्य समापन प्रमाणन के रूप में माना जाएगा।

4. पर्यावरणी प्रभाव आकलन (ईआईए)

वर्तमान में, भारत में तेल और गैस परिसंपत्तियों की डीकमिशनिंग के लिए कोई विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का दिशा-निर्देश नहीं है। इसके लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित की जानी चाहिए और अपतटीय तथा तटीय तेल एवं गैस उत्पादक परिसंपत्तियों के परित्याग संबंधी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) तैयार किया जाना चाहिए।

चयनित डीकमिशनिंग पद्धति के लिए ईआईए में पर्यावरण संरक्षण उपाय शामिल होना चाहिए तथा चयनित अवधारणा के लिए ईआईए रिपोर्ट के साथ स्थल पुनर्स्थापन योजना संविदाकार द्वारा डीजीएमएस/ओआईएसडी को प्रस्तुत करना होगा।

5. स्वाभाविक रूप से उत्पन्न रेडियोधर्मी सामग्री (एनओआरएम) का प्रहस्तन (हैंडलिंग)

स्वाभाविक रूप से उत्पन्न रेडियोधर्मी सामग्री (एनओआर) से संसर्गित उपकरण की पहचान, लेबलिंग, अनुरक्षण, भंडारण और निपटान के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

6. स्थल पुनर्स्थापन निधि

स्थल पुनर्स्थापना निधि ("एसआरएफ"), जहां लागू हो, संबंधित उत्पादन भागीदारी (पीएससी) संविदा (पीएससी) प्रावधानों और वर्ष 1999 की स्थल पुनर्स्थापना निधि योजना (एसआरएफएस) द्वारा शासित होती हैं। स्थल पुनर्स्थापना निधि योजना के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाए गए हैं :

- संविदाकार प्रथम वाणिज्यिक तेल / गैस उत्पादन के तुरंत बाद एसआरएफ खाता खोलेगा।
- नए क्षेत्रों के मामले में, संविदाकार, वैकल्पिक रूप से, प्रथम वाणिज्यिक तेल / गैस उत्पादन के 3 वर्षों तक की प्रारंभिक अवधि के लिए बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत कर सकते हैं।
- वाणिज्यिक उत्पादन वाले ऐसे मौजूदा क्षेत्रों के मामले में जहां एसआरएफ अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं, नीतिगत दिशानिर्देशों की अधिसूचना के 6 माह के अंदर संविदाकार, वैकल्पिक रूप से, 3 वर्षों तक की अवधि के लिए एक बैंक गारंटी जमा कर सकता है। उत्पादन भागीदारी संविदा के बाद के वर्षों के लिए संविदाकार एसआरएफ खाता खोलेगा।
- स्थल पुनर्स्थापना निधि (एसआरएफ) या बैंक गारंटी (बीजी) की राशि संविदाकार द्वारा यथा प्रस्तावित और प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित डीकमिशनिंग आकलनों के अनुरूप होगी।
- एसआरएफ खाते या बैंक गारंटी राशि के निधियन की संगणना इकाई उत्पादन पद्धति अर्थात् उस क्षेत्र के भंडार और उत्पादन के अनुपात का उपयोग करते हुए की जाएगी।
- अलग-अलग परिसंपत्तियों के भिन्न-भिन्न परिचालन जीवनकाल और संसाधन लागतों में परिवर्तनों के कारण, प्रत्येक 3 वर्ष पर, डीकमिशनिंग और स्थल पुनर्स्थापन लागत का मूल्यांकन और अद्यतन किया जाए। संविदाकार द्वारा एक अर्हता प्राप्त स्वतंत्र तृतीय पक्षकार द्वारा विधिवत् आकलित डीकमिशनिंग लागत आकलन डीजीएच को प्रस्तुत किया जाएगा। संशोधित आकलन एसआरएफ राशि अथवा बैंक गारंटी का आधार बनेगा।

एसआरएफ खाते से निधियों का आहरण, वर्ष 1999 की एसआरएफएस के पैरा 8 द्वारा अभिशासित होगा। पैरा 8 के अनुसार और आगे दिशा-निर्देशन के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त चरणों का अनुपालन करने की जरूरत की सिफारिश की जाती है :

- क. संविदाकार अनंतिम कार्य अनुसूची और वित्तीय वर्ष आधारित संगत आकलित भुगतान सहित, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (डब्ल्यूपी एंड बी) प्रबंधन समिति को प्रस्तावित करेगा।
- ख. इस प्रकार के अनुमोदित कार्य कार्यक्रम और बजट (डब्ल्यूपी एंड बी) के आधार पर संविदाकार को व्यय के मद में एसआरएफ खाते से चार अथवा अधिक चरणों में निधियां आहरित करने की अनुमति दी जाएगी। संविदाकार प्रत्येक चरण के दौरान अथवा उनकी समाप्ति पर निधियों का उपयोग दर्शाते हुए, प्रबंधन समिति को स्वीकार्य, तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापित चरण-वार उपयोग प्रमाणपत्र, डीजीएच को प्रस्तुत करेगा। बाद के चरण

के लिए अग्रिम जारी करने के लिए, संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान चरण के दौरान आहरित राशि के 75 प्रतिशत के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और पिछले चरणों की 100 प्रतिशत निधियां आहरित कर ली गई हैं। वैकल्पिक रूप से, संविदाकार को समतुल्य राशि के लिए बैंक गारंटी जमा कर प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार स्थल पुनर्स्थापन और परित्याग के लिए आवश्यक निधि का 100 प्रतिशत तक अग्रिम में आहरित करने का विकल्प होगा।

- ग. वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 60 दिनों के अंदर, संविदाकार को पिछले वर्ष का अंतिम व्यय और उपयोगिता विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- घ. बैंक गारंटी राशि के मामले में, अनुमोदित परित्याग योजना के अनुसार स्थल पुनर्स्थापन शेष कार्य के मूल्य के अनुसार वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक आधार पर बैंक गारंटी राशि (अनुपातिक आधार पर) से समायोजित / घटाई जा सकती है।
- ङ. संविदाकार अनुमोदित परित्याग योजना के अनुसार स्थल पुनर्स्थापन गतिविधियां शुरू करेगा और समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- च. एसआरएफ खाते में योगदान की राशि का उपयोग सभी पक्षकारों द्वारा केवल क्षेत्र परित्याग एवं स्थल पुनर्स्थापन के लिए किया जाएगा। स्थल पुनर्स्थापन और परित्याग के पश्चात् एसआरएफ की शेष राशि का पीएससी और एसआरएफ योजना, 1999 के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

7. स्थल परित्याग की शुरुआत

स्थल परित्याग की शुरुआत और स्थल पुनर्स्थापन योजना के अनुमोदन के लिए सरकार को सूचित करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश बनाए गए हैं:-

- अपेक्षित उत्पादन विराम के एक (1) वर्ष पूर्व एक आकलित उच्च स्तरीय परित्याग अनुसूची समीक्षार्थ डीजीएच को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- यदि आवश्यक हुआ तो डीजीएच द्वारा थोड़ी समयावधि कम की जा सकती है।
- उत्पादन समाप्ति के पश्चात् स्थल परित्याग और पुनर्स्थापन योजना 1 वर्ष से अनधिक अवधि के अंदर ओआईएसडी / डीजीएमएस को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- इन दिशानिर्देशों के अनुरूप, संविदाकार द्वारा परित्याग योजना प्रस्तुत किए जाने के 60 दिनों के अंदर ओआईएसडी / डीजीएमएस द्वारा परित्याग योजना अनुमोदित की जाएगी। यदि ओआईएसडी / डीजीएमएस को इन प्रलेखनों में खामियों के संबंध में कोई पूछताछ करनी है तो, इस संबंध में संविदाकार से संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने और सही प्रासंगिक

दस्तावेज़ प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर ओआईएसडी / डीजीएमएस द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा।

- सभी विनियामक अनुमोदन, परमिट, मंजूरीयों इत्यादि के अध्यक्षीन परित्याग की शुरुआत परित्याग योजना में अनुमोदित समय-सीमा के अनुसार की जानी चाहिए।

8. भारत के अपतटीय उत्पादन स्थलों की डीकमिशनिंग के लिए दिशानिर्देश

खंड 1. परिभाषाएं

(क) डीकमिशनिंग से अभिप्रेत है :

(1) तेल या गैस प्रचालन का समापन; तथा

(2) पट्टे को एक ऐसी स्थिति में लौटाना जो विनियमों और अन्य एजेंसियों, जिनका डीकमिशनिंग गतिविधियों पर क्षेत्राधिकार है, की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(ख) अवरोध से अभिप्रेत है:

तेल और गैस परिचालनों में प्रयुक्त संरचनाएं, उपकरण या वस्तु अथवा ऐसी संरचनाओं पर समुद्री उगाई, जिन्हें यदि यथास्थान छोड़ दिया जाता है तो समुद्र तल के मौजूदा प्रयोक्ताओं के लिए काफी बाधाएं खड़ी करेगा, को एक अवरोध माना जा सकता है। ऐसे अवरोधों में शेल माउंड, कूपशीर्ष, केसिंग स्टब्स, मडलाइन सस्पेंशन, कूप संरक्षण उपकरण, समुद्रमग्न पेड़, जंपर एसंबिलिज, अंबिलिकल्स, मैनिफोल्ड, टर्मिनेशन स्किड्स, उत्पादन और पाइपलाइन राइजर, प्लेटफॉर्म, टैप्लेट्स, पायलिंग्स, पाइपलाइन, पाइपलाइन वाल्व और बिजली की तारें इत्यादि शामिल हो सकती हैं।

खंड 2. उत्पादन समापन

उत्पादन समापन के 180 दिनों के अंदर, संविदाकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय / डीजीएच / ओआईएसडी को सूचित करेगा कि इस स्थल से सभी उत्पादन बंद हो चुके हैं और उत्पादन समापन के एक वर्ष के अंदर ओआईएसडी को परित्याग योजना प्रस्तुत करेगा।

खंड 3. सामान्य डीकमिशनिंग अपेक्षाएं


डीकमिशनिंग अपेक्षाओं संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :

- कूप को स्थायी रूप से बंद (प्लगिंग) कर कूप को डीकमिशन करें। समुद्रमग्न कूप शीर्ष संरचनाएं, क्रिसमस ट्री, केसिंग और ट्यूबिंग्स यथा स्थान छोड़े जा सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने स्थान पर सुदृढ़ हों और इस स्थल के संभावित प्रयोक्ताओं के लिए कोई अधिक

जोखिम पैदा न करते हों। समुद्रमग्न कूप शीर्ष संरचनाओं, क्रिसमस ट्री, केसिंग और ट्यूबिंग की डीकमिनिंग पद्धति का निर्णय एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तुलनात्मक आकलन प्रक्रिया के माध्यम से लिया जाएगा, जिसमें भू-तकनीकी पहलू, क्षय प्रक्रियाएं, पर्यावरण मुद्दे और सुरक्षा इत्यादि शामिल होंगे।

- आईएमओ संकल्पों / दिशानिर्देशों के अनुसार प्लेटफॉर्म हटाया जा सकता है। रीफिंग की अनुमति होगी यदि यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से लाभकारी होता है।
- समुद्रमग्न हार्डवेयर और पाइपलाइन को डीकमिनिंग किया जाना चाहिए और यथास्थान छोड़ दिया जाना चाहिए, बशर्ते कि भू-तकनीकी, इंजीनियरिंग विश्लेषण और अन्य सूचना यह बताते हैं कि हार्डवेयर और पाइपलाइन सुदृढ़ हैं। पाइपलाइन डीकमिनिंग पद्धति का निर्णय एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तुलनात्मक आकलन प्रक्रिया के माध्यम से लिया जाएगा, जिसमें भू-तकनीकी पहलू, क्षय प्रक्रियाएं, पर्यावरण मुद्दे और सुरक्षा इत्यादि शामिल होंगे।
- जहाँ पाइपिंग अथवा कंडक्टर्स टूट गए हैं उन्हें निकाल कर एक स्तर पर या मड लाइन के नीचे के स्तर पर लाया जाना चाहिए।
- सभी डीकमिनिंग कार्य सुरक्षित तरीके से किया जाए कि समुद्र तल के अन्य प्रयोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी न हो और मानव, समुद्री अथवा तटीय पर्यावरण को अनुचित अथवा गंभीर हानि अथवा क्षति न पहुँचाएं।

खंड 4. अपतटीय उत्पादन स्थलों की डीकमिशनिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया



खंड 5. कूप प्लग और परित्याग

कूप प्लगिंग और परित्याग संचालन ओआईएसडी मानक 175 के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। ओआईएसडी मानक 175 से विचलन, यदि कोई है, अलग-अलग मामले के आधार पर अनुमोदनार्थ ओआईएसडी को प्रस्तुत किया जाएगा।

रिग विहीन परित्याग एक व्यवहार्य विकल्प है। संविदाकारों के पास सर्वाधिक किफायती, सुरक्षित तरीके से कूप परित्याग करने का अपना भी विकल्प होना चाहिए। रिग विहीन पी एंड ए के लिए परियोजना विशिष्ट प्रक्रियाएं ओआईएसडी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

प्रत्येक आगार (रिजर्वायर) अलगाव (आइसोलेशन) प्लग (प्लगें) सत्यापन हेतु निम्नलिखित परीक्षणों में से एक या दोनों में पास करना होगा :

- प्लग पर कम से कम 15,000 पाउंड का पाइप वजन; या
- प्रति वर्ग इंच कम से कम 1,000 पाउंड का पंप दबाव। सुनिश्चित करें कि दबाव 15 मिनट में 10 प्रतिशत से अधिक कम नहीं होता है।

खंड 6. डीकमिशनिंग प्लेटफॉर्म और अन्य सुविधाएं

सभी प्लेटफॉर्म और अन्य सुविधाएं, अनुमोदित परित्याग योजना के अनुसार डीकमिशन की जानी चाहिए।

सभी उत्पादन राइज़र्स को उन्हें हटाने से पहले समुद्री पानी से साफ करना जरूरी है।

खंड 7. प्लेटफॉर्म या अन्य सुविधा परित्याग योजना में शामिल की जाने वाली सूचना

ओआईएसडी के अनुमोदन के लिए परित्याग योजना के भाग के रूप में निम्नलिखित (यथा प्रासंगिक) जानकारी प्रस्तुत करें :

(क) निम्नलिखित सहित आवेदक की पहचान:

- (1) संविदाकार;
- (2) पता;
- (3) संपर्क व्यक्ति और टेलीफोन नंबर, ईमेल, फैक्स, और
- (4) तटीय बेस

(ख) निम्नलिखित सहित, डीकमिशन की जाने वाली संरचना की पहचान:

- (1) प्लेटफार्म का नाम
- (2) स्थान (पट्टा, क्षेत्र, ब्लॉक और ब्लॉक निर्देशांक);
- (3) स्थापना तिथि (वर्ष);
- (4) डीकमिशनिंग की प्रस्तावित तिथि (महीना / वर्ष); तथा
- (5) जल गहराई

(ग) निम्नलिखित सहित, निष्क्रिय (डिकमिशन) की जाने वाली संरचना का विवरण:

- (1) विन्यास (एक चित्र या आरेख संलग्न करें);
- (2) आकार;
- (3) लेग्स / केसिंग / पाइलिंग की संख्या;
- (4) लेग्स / केसिंग / पाइलिंग का व्यास और दीवार की मोटाई;
- (5) क्या पाइल्स ग्राउटेड हैं;
- (6) मिट्टी संरचना और स्थिति का संक्षिप्त विवरण;
- (7) जैकेट, टॉपसूइड्स (मॉड्यूल द्वारा), कंडक्टर्स, और पाइलिंग के आकार और भार; तथा

(घ) प्रयोजन की पहचान जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (1) पट्टा समाप्ति तिथि; तथा
- (2) संरचना को हटाने का कारण।

(ङ) हटाने की विधि का विवरण,

(च) हटाए गए प्लेटफॉर्म के परिवहन और निस्सरण (कृत्रिम चट्टान (रीफ) के रूप में सहित) या निस्तारण (साल्वेज) की योजना

(छ) इस संरचना के निकट के क्षेत्र में किए गए हाल के किसी जैविक सर्वेक्षण के परिणाम और संरचना स्थल पर कछुओं या समुद्री स्तनधारियों की स्थिति का प्रेक्षण।

(ज) प्रचालन हटाने के दौरान पुरातात्विक और संवेदनशील जैविक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की योजना, जिसमें निष्कासन परिचालन और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का एक संक्षिप्त आकलन और ऐसे प्रभावों को कम से कम करने के लिए किए गए शमन उपाय शामिल होंगे।

(झ) इस आशय का एक कथन कि निष्कासन के पश्चात् समुद्री जीवन पर किसी प्रकार के प्रभावों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु गोताखोरों का उपयोग किया जाएगा या नहीं।

खंड 8. प्लेटफॉर्म अथवा अन्य सुविधा डीकमिशन किए जाने के पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली सूचना।

किसी प्लेटफॉर्म या अन्य सुविधा के डीकमिनिंग के 90 दिनों के अंदर, ओआईएसडी को एक लिखित सूचना प्रस्तुत करें, जिसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

(क) डीकमिनिंग प्रचालन पूरा होने की तिथि सहित प्रचालन का संक्षिप्त विवरण;

(ख) शमन उपाय, यदि कोई उपयोग किया गया हो, के विवरण; तथा

(ग) एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान, जो प्रमाणित करता हो कि प्लेटफॉर्म या अन्य सुविधा के हटाने में प्रयुक्त विस्फोटक का प्रकार और परिमाण अनुमोदित परित्याग योजना में यथा निर्धारित के अनुरूप थे।

खंड 9. पाइपलाइन डीकमिनिंग

पाइपलाइन को डीकमिशन के बाद यथावत छोड़ देना है।

किसी पाइपलाइन को निष्क्रिय (डीकमिशन) करने के लिए :

(क) ओआईएसडी के अनुमोदनार्थ परित्याग योजना के भाग के रूप में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :

(1) प्रचालन के कारण;

(2) प्रस्तावित डीकमिनिंग प्रक्रियाएं;

(3) डीकमिनिंग हेतु निर्धारित खंड की लंबाई (मीटर)

(4) निपटान और निस्तारण (साल्वेज) योजना

(5) लैंड फॉल बिन्दु पर पारिस्थितिकीय - संवेदनशील क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों इत्यादि से गुजरने वाली पाइपलाइन की लंबाई और उनके संरक्षण की योजना।

- (ख) पाइपलाइन को पिग करें, जब तक कि पिगिंग व्यावहारिक नहीं रह गया हो;
- (ग) पाइप लाइन को फ्लश करें;
- (घ) पाइप लाइन में समुद्री पानी भरें;
- (ङ) पाइप लाइन के प्रत्येक छोर को काटें और बंद करें;
- (च) जहां आवश्यक हो, पाइपलाइन के प्रत्येक छोर को समुद्र तल से कम से कम एक मीटर के नीचे गाड़ दें अथवा प्रत्येक छोर को बालू / कंक्रीट सतह से ढक दें।
- (छ) समुद्र तल के अन्य प्रयोक्ताओं को अनावश्यक रूप से बाधित करने वाले पाइपलाइन वाल्वों और अन्य फिटिंग्स को निकालें।

खंड 10. पाइपलाइन डीकमिशनिंग के उपरांत

पाइपलाइन डीकमिशनिंग के समापन के 90 दिनों के अंदर, ओआईएसडी को एक लिखित सूचना प्रस्तुत करें, जिसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

- (क) डीकमिशनिंग प्रचालन पूरा होने की तिथि सहित प्रचालन का संक्षिप्त विवरण;
- (ख) नियोजित शमन (मिटिगेशन) उपाय के विवरण; तथा
- (ग) अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान, जो प्रमाणित करता हो कि पाइपलाइन को अनुमोदित परित्याग योजना के अनुसार निष्क्रिय (डीकमिशन) किया गया है।

खंड 11. स्थायी रूप से बंद (प्लग) किए गए कूप, हटाए गए प्लेटफॉर्म, अथवा अन्य हटाई गई सुविधा के लिए स्थल मंजूरी अपेक्षाएं

परित्याग गतिविधियों के पूरा होने के पश्चात्, यह सत्यापित करें कि निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक का उपयोग करते हुए स्थल से अवरोधों को हटा लिया गया है:

यदि उपयोग किया गया है__	जरूर करें__	और जरूर करें __
(क) सोनार	उपयुक्त ग्रिड क्षेत्रफल को 100 प्रतिशत कवर करें।	कम से कम 500 किलो हर्टज की आवृत्ति का सोनार सिग्नल का उपयोग करें।
(ख) गोताखोर	सुनिश्चित करें कि गोताखोर उपयुक्त ग्रिड का स्वयं देखकर 100 प्रतिशत क्षेत्र का निरीक्षण करता है।	सुनिश्चित करें कि गोताखोर संकेंद्रित वृत्त अथवा अधिकतम 3 मीटर अंतराल की समानांतर रेखाओं के तलाश पैटर्न का उपयोग करता है।
(ग) आरओवी (सुदूर संचालित वाहन)	सुनिश्चित करें कि आरओवी कैमरा उपयुक्त ग्रिड क्षेत्र के 100 प्रतिशत का विडियोटेप रिकॉर्ड करता है।	सुनिश्चित करें कि आरओवी संकेंद्रित वृत्त अथवा अधिकतम 3 मीटर अंतराल की समानांतर रेखाओं के पैटर्न का उपयोग करता है।

खंड 12. पश्च स्थल मंजूरी और सत्यापन

(क) एक कूप स्थल के लिए सत्यापन गतिविधियों के पूरा होने के 90 दिनों के अंदर एक समापन पत्र प्रस्तुत करें, जिसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- (1) इस आशय का एक हस्ताक्षरित प्रमाणन कि कूप स्थल क्षेत्र सभी अवरोधों से मुक्त है;
- (2) कार्य सत्यापन की तारीख और प्रयुक्त पोत;
- (3) सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल;
- (4) प्रयुक्त सर्वेक्षण पद्धति।

(ख) किसी प्लेटफॉर्म या अन्य सुविधा स्थल के लिए, सत्यापन गतिविधियों के समापन के पश्चात् 90 दिनों के अंदर एक समापन पत्र जमा करें, जिसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

(1) कंपनी के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि प्लेटफॉर्म या अन्य सुविधा स्थल क्षेत्र से सभी अवरोध हटा लिए गए हैं और यह कि कंपनी के प्रतिनिधि ने सत्यापन गतिविधियों को देखा है।

(2) तृतीय-पक्ष कंपनी, जिसने सत्यापन कार्य निष्पादित किया है, के किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र कि प्लेटफॉर्म या अन्य सुविधा स्थल क्षेत्र से सभी अवरोध हटा लिए गए हैं।

(3) सत्यापन कार्य निष्पादित करने की तिथि और प्रयुक्त पोट;

(4) सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल;

(5) प्रयुक्त सर्वेक्षण पद्धति।

टिप्पणी 1: स्थल सफाई निष्पादित करने के 180 दिनों के अंदर, संविदाकार ओआईएसडी / डीजीएच को संविदाकार के कार्य समापन की मिसिल (डोजियर) पर तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसे कार्य समापन प्रमाण पत्र माना जाएगा।

खंड 13. परित्यक्त पाइपलाइनों की निगरानी और सर्वेक्षण अपेक्षाएं

(क) पर्यावरणी और स्थिरता आधारभूत सर्वेक्षण का निष्पादन।

(ख) ऐसी पाइपलाइनों के परित्याग से कम से कम एक मानसून मौसम के बीत जाने के पश्चात्, संविदाकार द्वारा पाइपलाइन स्थान का एक सर्वेक्षण भी किया जाना चाहिए।

(ग) परित्याग पश्चात् निगरानी आवश्यक नहीं है।

9. भारत के तटीय उत्पादन स्थलों को बंद करने (डीकमिशनिंग) संबंधी दिशानिर्देश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को ऐसे विधान बनाने चाहिए जो डीजीएमएस को तटीय उत्पादन स्थलों की डीकमिशनिंग को विनियमित करने का प्राधिकार प्रदान करता हो।

खंड 1. परिभाषाएं

(क) अधिकृत प्रशासनिक प्रतिनिधि से अभिप्रेत है:

कोई संस्था या व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा सहकारी समझौता, प्रत्यायोजन अथवा अनुबंध द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकृत है।

(ख) ताजा पानी से अभिप्रेत है:

ऐसा पानी जिसमें कुल 1000 पीपीएम से अधिक ठोस पदार्थ घुले न हों, बशर्ते कि ऐसे पानी में कोई ऐसा घटक आपत्तिजनक स्तर पर निहित न हो जो पशु, पौधे अथवा जल जंतु के लिए विषैला हो, जब तक अन्यथा लागू नोटिसों अथवा आदेशों में विनिर्दिष्ट न हो।

(ग) संविदाकार से अभिप्रेत है:

उत्पादन भागीदारी संविदा में यथा परिभाषित।

खंड 2. कूप भराई (वेल प्लगिंग) और परित्याग

उत्पादन बंद हो जाने के पश्चात् कूप को स्थायी रूप से बंद (प्लग) किया जाना चाहिए।

किसी कूप अथवा क्षेत्र को स्थायी रूप से बंद करने से पूर्व, प्लग करने और परित्याग करने हेतु एक आवेदन डीजीएमएस को प्रस्तुत करें और उनका अनुमोदन प्राप्त करें। अनुमोदन हेतु अनुरोध में निम्नलिखित सूचना शामिल करें :

- (क) कूप (अथवा क्षेत्र) प्लगिंग का कारण तथा आगे लाभकारी तेल अथवा गैस उत्पादन करने की इसकी क्षमता की कमी को विनिर्दिष्ट करते हुए इस संबंध में जानकारी
- (ख) हाल का कूप परीक्षण आंकड़ा और दबाव आंकड़ा, यदि उपलब्ध है;
- (ग) अधिकतम संभावित तेल दबाव, और
- (घ) उपयोग किए जाने वाले कूप नियंत्रण तरल का प्रकार और वजन;
- (ङ) कार्य का विवरण; और
- (च) वर्तमान और प्रस्तावित कूप खाका और विवरण जिसमें निम्नलिखित सूचना शामिल हो:
 - (1) कूप की गहराई;
 - (2) सभी छिद्रित अंतराल जिन्हें प्लग नहीं किया गया है;
 - (3) केसिंग और ट्यूबिंग की गहराई और विवरण;
 - (4) अधःस्तलीय उपकरण;
 - (5) प्रत्येक आवरण (केसिंग) वलय में अनुमानित सीमेंट शीर्ष (और अनुमान का आधार);
 - (6) प्लग स्थान;
 - (7) प्लग प्रकार;
 - (8) प्लग लंबाई;

- (9) प्रयोग की जाने वाली कीचड़ और सीमेंट के गुण;
- (10) छिद्रण और आवरण कटाई योजना;
- (11) प्लग परीक्षण योजनाएं;
- (12) राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित निकटवर्ती क्षेत्रों की पर्यावरणीय स्थिति।

टिप्पणी : रिग विहीन कूप परित्याग एक व्यवहार्य विकल्प है। संविदाकारों के पास सर्वाधिक किफायती, सुरक्षित तरीके से कूप परित्याग का विकल्प भी होना चाहिए। रिग विहीन पी एंड ए के लिए परियोजना विशिष्ट प्रक्रियाएं डीजीएमएस को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

खंड 3. स्थायी कूप बंदी (वेल प्लगिंग) अपेक्षाएं

(क) सुनिश्चित करें कि सभी कूप प्लग:-

- (1) हाइड्रोकार्बन और क्षेत्रों को डाउनहोल विलगन प्रदान करते हैं;
 - (2) ताजे पानी के जलदायी स्तर सुरक्षित रखते हैं; तथा
 - (3) वेलबोर के अंदर या सतह पर तरल पदार्थ संघटन अभिगमन को रोकते हैं।
- (ख) इस खंड की निम्नलिखित सारणी के अनुसार कूपों को स्थायी रूप से बंद (प्लग) कर दें।

स्थायी कूप प्लगिंग अपेक्षाएं

यदि ----	फिर इसका उपयोग करें -----
(1) ओपेन होल में क्षेत्र	संस्तर में तरल को विलगति करने के लिए तेल, गैस और ताजा पानी के क्षेत्रों को कम से कम 30 मीटर नीचे से 30 मीटर ऊपर तक सीमेंट प्लग लगाएं।
(2) आवरण (केसिंग) के नीचे ओपेन होल	(i) केसिंग तल (शू) के कम से 30 मीटर ऊपर और गहनतम नीचे, विस्थापन पद्धति से एक सीमेंट प्लग करें; (ii) केसिंग शू के 15 से 30 मीटर पर प्रभावी बैक प्रेशर नियंत्रण युक्त एक सीमेंट रिटेनर और एक सीमेंट प्लग लगाएं जो केसिंग शू के कम से कम 30 मीटर नीचे जाता हो और रिटेनर से ऊपर कम से कम 15 मीटर जाता हो; अथवा (iii) अपेक्षित अथवा ज्ञात मृत संचलन स्थितियों के लिए योजक प्लग के शीर्ष पर 15 मीटर सीमेंट के साथ शू के ऊपर 15 से 30 मीटर का एक योजक प्लग करें।

यदि ----	फिर इसका उपयोग करें -----
<p>(3) छिद्रित क्षेत्र जो वर्तमान में खुला है और जिसे पहले दबाया अथवा विलगित नहीं किया गया है।</p>	<p>(i) पहले से दबाए गए अथवा विलगित छिद्रों में सीमेंट दबाने की किसी पद्धति का प्रयोग करें;</p> <p>(ii) विस्थापन विधि द्वारा स्थापित एक सीमेंट प्लग लगाएं, छिद्रित अंतराल के कम से कम 30 मीटर ऊपर से 30 मीटर नीचे तक, अथवा नीचे केसिंग प्लग तक, जो भी कम हो, अथवा</p> <p>(iii) यदि छिद्रित क्षेत्र नीचे होल से विलगित हैं, तो इस खंड के पैरा (ख) (3) (i) और (ख) (3) (ii) में विनिर्दिष्ट के स्थान पर, इस खंड के (ड) के माध्यम से पैरा (ख) (3) (iii) (क) में विनिर्दिष्ट किसी प्लग का उपयोग करें।</p> <p>(क) छिद्रित अंतराल के शीर्ष के ऊपर 15 से 30 मीटर प्रभावी बैक प्रेशर नियंत्रण युक्त एक सीमेंट रिटेनर सेट करें और एक सीमेंट प्लग करें जो इस रिटेनर के ऊपर कम से कम 15 मीटर सीमेंट के साथ छिद्रित अंतराल के निचले भाग के कम से कम 30 मीटर नीचे तक जाता हो।</p> <p>(ख) योजक जो छिद्रित अंतराल के शीर्ष के ऊपर 15 से 30 मीटर पर सेट करें और योजक प्लग के शीर्ष पर कम से कम 15 मीटर सीमेंट करें;</p> <p>(ग) विस्थापन पद्धति द्वारा कम से कम 60 मीटर लंबाई का एक सीमेंट प्लग करें, जिसका प्लग बॉटम छिद्रित अंतराल के ऊपर 30 मीटर से अधिक न हो।</p> <p>(घ) छिद्रित अंतराल के ऊपर 30 मीटर तक पूरा ट्यूबिंग बास्केट प्लग करें और बास्केट प्लग के शीर्ष पर कम से कम 15 मीटर सीमेंट लगा हो ।</p> <p>(ड) छिद्रित अंतराल के ऊपर 30 मीटर तक एक ट्यूबिंग प्लग सेट करें और जिसके ऊपर सीमेंट की पर्याप्त मात्रा हो ताकि इसे वेलबोर के उच्चतम पैकर के कम से कम 30 मीटर तक ऊपर किया जा सके और पैकर के ठीक ऊपर आवरण वलयों में कम से कम 90 मीटर सीमेंट हो।</p>

यदि ----	फिर इसका उपयोग करें -----
(4) केसिंग स्टब जहाँ स्टब छोर केसिंग के अंदर ही हो	<p>i) एक सीमेंट प्लग स्टब छोर से कम से कम 30 मीटर ऊपर और नीचे सेट करें;</p> <p>ii) एक सीमेंट रिटेनर अथवा योजक प्लग स्टब छोर से कम से कम 15 से 30 मीटर ऊपर सेट करें और साथ में रिटेनर अथवा योजक प्लग के शीर्ष पर कम से कम 15 मीटर का सीमेंट हो; अथवा</p> <p>iii) कम से कम 60 मीटर लंबा एक सीमेंट प्लग बॉटम प्लग के साथ सेट करें जो स्टब छोर से ऊपर 30 मीटर तक हो।</p>
(5) एक केसिंग स्टब जहाँ स्टब छोर केसिंग से नीचे हो	यथा लागू, इस खंड के पैरा (ख) (1) अथवा (ख) (2) में यथा विनिर्दिष्ट एक प्लग
(6) एक वलयाकार स्थान जो ओपेन होल से जुड़ता हो और मड लाइन तक जाता हो।	वलयाकार स्थान में कम से कम 60 मीटर लंबा एक सीमेंट प्लग सेट करें। समुद्र सतह से ऊपर संपादित कूप के लिए, विलगन सत्यापन के लिए प्रत्येक केसिंग वलयों का दाब परीक्षण करें।
(7) केसिंग वाला कूप	सबसे छोटे केसिंग में कम से कम 20 मीटर लंबा एक सीमेंट सतह प्लग सेट करें जो सतह तक जाता हो और प्लग का शीर्ष सतह के नीचे 10 मीटर तक ही हो।
(8) होल में बचा हुआ तरल	प्लगों के अंतराल में तरल इतना गाढ़ा हो कि अंतरालों में संरचना दबाव से अधिक हाइड्रोस्टैटिक दबाव डाल सके।

(ग) आगार (रिजर्वायर) विलगन प्लग (प्लगों) की प्लग संबंधी सुदृढ़ता का सत्यापन करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण (प्रत्येक) किए जाने चाहिए:

- प्लग पर कम से कम 15000 पाउंड का पाइप भार; अथवा
- कम से कम 1,000 पौंड प्रति इंच का पंप दबाव (प्रेसर)। सुनिश्चित करें कि दबाव 15 मिनट में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं गिरे।

खंड 4: कूपशीर्ष, आवरण हटाना और स्थल पुनर्स्थापन

जमीन स्तर से कम से कम 1.5 मीटर नीचे कूपशीर्ष और सभी आवरण हटाएं।

यदि आवश्यक है, वैकल्पिक निष्कासन गहराई के संबंध में आपसी सहमति से और मामले के आधार पर अलग-अलग मंजूरी दी जाए।

कूप स्थल को साफ करें और भूमि को मूल स्थिति में अथवा भू-स्वामियों / स्थानीय प्राधिकारियों के साथ आपसी सहमति के अनुसार, यथा अपेक्षित स्थिति में लाएं।

आसपास के पारिस्थितिकीय संवेदनशील स्थानों जैसे संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य इत्यादि से संबंधित सूचना प्रदान करें और उन पर प्रभावों को कम से कम करने की योजना प्रस्तुत करें।

खंड 5. कूप प्लगिंग समापन प्रस्तुति

किसी कूप को स्थायी रूप से बंद (प्लगिंग) करने के पश्चात् 90 दिनों के अंदर, एक कार्य पश्चात् प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, और उसमें निम्नलिखित सूचना शामिल करें :

- (1) वास्तविक कूप निर्देशांक और स्थान संबंधी सूचना
- (2) प्लग का वास्तविक स्थान दर्शाते हुए अंतिम कूप खाका;
- (3) प्लगिंग कार्य का विवरण;
- (4) प्लगों में प्रयुक्त सामग्री की प्रकृति और मात्रा;
- (5) आवरण (केसिंग) कट का आकार और लंबाई;
- (6) केसिंग निष्कासन गहराई
- (7) कूप कैप संबंधी विवरण

खंड 6. अस्थायी कूप परित्याग

किसी कूप का अस्थायी रूप से परित्याग किया जा सकता है यदि उचित विकास और पट्टा प्रस्तुति के लिए ऐसा करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए”

- (क) कूप आशोधन के लिए आवेदन और ओएमआर के अनुसार प्रयोज्य सूचना डीजीएमएस को प्रस्तुत करें;
- (ख) कूपशीर्ष को काट कर हटाने की आवश्यकता नहीं है;
- (ग) केसिंग के सीमेंटेड और वेधित होने तक, सबसे गहरे केसिंग स्ट्रिंग के बेस पर कम से कम 30 मीटर लंबा योजक प्लग अथवा एक सीमेंट सेट करें। यदि सीमेंट प्लग सेट हो जाता है तो सीमेंट प्लग को ओपेन होल में केसिंग शू के नीचे तक विस्तारित करना आवश्यक नहीं है;

(घ) सतह प्लग के नीचे प्रथम प्लग और 'लॉस्ट सर्कुलेशन' क्षेत्रों के सभी प्लगों, जो ओपन होल में हैं, का परीक्षण करें। प्लग की सुदृढ़ता सत्यापित करने के लिए इस प्लग को निम्नलिखित परीक्षणों में से कोई एक पास करना जरूरी है :

- प्लग पर कम से कम 15000 पाउंड का एक पाइप भार; अथवा
- कम से कम 1,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच का पंप दबाव। सुनिश्चित करें कि दबाव 15 मिनट में 10 प्रतिशत से अधिक न गिरे।

(ड) सबसे अंदर वाले आवरण (केसिंग) में कम से कम 30 मीटर लंबा पुनः प्रापणीय अथवा एक स्थायी प्रकार का योजक प्लग अथवा एक सीमेंट प्लग लगाएं। योजक प्लग अथवा सीमेंट प्लग का शीर्ष सतह के नीचे (जीएल) 20 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(च) कूप पहचान का विस्तृत विवरण दें।

(छ) किसी कूप के अस्थायी प्लगिंग के पश्चात् 90 दिनों के अंदर, कूप आशोधन हेतु प्ररूप प्रस्तुत करें और प्लग किए गए खाका के साथ कूप विवरण शामिल करें।

जब किसी कूप को अस्थायी परित्यक्त स्थिति में बनाए रखना आवश्यक न हो तो :

(क) प्रासंगिक मानकों के अनुसार तुरंत और स्थायी रूप से कूप को प्लग करें।

(ख) कूप स्थल को साफ करें और भूमि को लगभग मूल स्थिति या भू-स्वामियों / स्थानीय प्राधिकारियों के साथ परस्पर सहमत स्थिति में वापस लाएं।

खंड 7: तेल / गैस संयंत्र का निष्क्रियन (डीकमिशनिंग) और भू - पुनर्स्थापना

डीकमिशनिंग में, कूपों को ढकना, संयंत्र को बंद करना और ट्रंक लाइनों का दबाव निकालना, पिगिंग और फ्लशिंग, संयंत्र विलगन और फ्लशिंग, परिष्करण (पर्जिंग) और संयंत्र उपकरणों, पोतों और संबद्ध पाइपिंग की सफाई शामिल है।

1. तटीय गैस संयंत्र विलगन:

संयंत्र के सभी हाइड्रोकार्बन स्रोतों को हटाने हेतु पर्जिंग करने से पूर्व इस संयंत्र के सभी भिन्न खंडों का सार्थक विलगन आवश्यक है। जैसे संयंत्र में प्रवाहित हो रहे हाइड्रोकार्बन के अन्य स्रोतों से संयंत्र को अलग करने के लिए ईएसडीवी से सभी ट्रंक लाइनों का संपर्क तोड़ना, सभी कूपों को विलगित करने के लिए वेल हैडर (हैडर्स) का संपर्क काटना, टेस्ट सेपरेटर हैडर / सेपरेटर को

ईएसडीवी से संपर्क काटना है, डाउनस्ट्रीम से स्रोत को विलगित करने के लिए कस्टडी मीटर को निकालना ।

2. पाइपलाइनों, पोतों और उपकरण की फ्लशिंग, पर्जिंग और सफाई:

डीकमिशनिंग के भाग के रूप में, उत्पादन बंद होने के पश्चात् फ्लशिंग, पर्जिंग और सफाई की जानी जरूरी है। पाइपलाइनों, पोतों और उपकरण को दाबमुक्त किया जाएगा और बड़ी मात्रा में मौजूद हाइड्रोकार्बन को निकाल दिया जाएगा। तदोपरांत, हाइड्रोकार्बन लाइन्स को आकस्मिक हाइड्रोकार्बन प्रवेश से बचाने के लिए यांत्रिक रूप से विलगन किया जाना चाहिए। हाइड्रोकार्बन / प्रदूषक का निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सफाई और पर्जिंग की जानी चाहिए, ताकि विघटन और स्थल पुनर्स्थापन के दौरान कोई खतरा न हो। सफाई कार्यक्रम, प्रत्येक प्रणाली / लूप की विशिष्ट जरूरतों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आंतरिक अनुमोदित होना चाहिए।

3. अपशिष्ट प्रबंधन और स्थल पुनर्स्थापन:

परित्याग योजना में भवनों और संरचनाओं के स्वस्थानी उपयोग के विकल्प पर विचार करना चाहिए। यदि वैकल्पिक उपयोग संभव नहीं होता है, तो इन संरचनाओं को भू - स्वामियों के साथ किए गए समझौतों / भू-पट्टा समझौतों के अनुसार विघटित, साफ और हटाया जाना चाहिए।

सभी उपकरण और पोत को अनुमोदित परित्याग योजना के अनुसार, वियोजित, साफ और विघटित किया जाएगा।

सुनिश्चित करें कि एस्बेस्टस मौजूद न रहे अथवा यदि मौजूद है तो इसे निकालने के लिए उचित उपाय किया जाए।

भू-स्वामियों / स्थानीय प्राधिकारियों के साथ परस्पर सहमति के अनुसार स्थल को साफ और पुनर्स्थापित करें।

नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाए कि स्थल को उचित तरीके से उपचारित और पुनर्स्थापित किया गया है।

खंड 8: पाइपलाइनों का परित्याग

(क) प्रत्येक संविदाकार इस खंड की अपेक्षाओं के अनुसार पाइपलाइनों का परित्याग करेगा या इनको निष्क्रिय करेगा।

(ख) स्वस्थाने परित्यक्त प्रत्येक पाइपलाइन को गैस, परिष्कृत गैस के सभी स्रोतों और आपूर्तियों से विसंबद्ध करना आवश्यक है। तथापि, ऐसी स्थिति में जब गैस की मात्रा इतनी कम हो कि इससे कोई खास खतरा न हो, तो उस पाइपलाइन को परिष्कृत (पर्ज) करने की जरूरत नहीं है।

(ग) सर्विस लाइन को छोड़कर, प्रत्येक निष्क्रिय पाइपलाइन को जो इस भाग के तहत अनुरक्षित नहीं किए जा रहे हैं, उन्हें गैस के सभी स्रोतों और आपूर्तियों से विसंबद्ध करना आवश्यक है। तथापि, ऐसी अवस्था में जब गैस परिमाण इतना छोटा हो कि इससे कोई खतरा संभावित न हो तो पाइपलाइन को परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) जब कभी भी किसी उपभोक्ता को सेवा प्रदान करना बंद किया जाता है तो निम्न में किसी एक का अनुपालन जरूर किया जाना चाहिए:

- (1) वह वाल्व जिसके माध्यम से उपभोक्ता को गैस प्रवाह की सेवा रोकने के लिए बंद किया जाता है, उसमें संविदाकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा वाल्व खोलने से रोकने के लिए एक लॉकिंग डिवाइस अथवा कोई अन्य साधन होना जरूरी है।
- (2) एक ऐसा यांत्रिक उपकरण या फिटिंग जो कि गैस के प्रवाह को रोक सके, सर्विस लाइन अथवा मीटर संयोजन (असेम्बली) में जरूर स्थापित किया जाना चाहिए।
- (3) उपभोक्ताओं की पाइपिंग को भौतिक रूप से गैस आपूर्ति से विसंबद्ध किया जाना चाहिए और खुले पाइप छोर को सील किया जाना चाहिए।

(ङ) यदि परिष्करण (पर्जिंग) के लिए हवा का उपयोग किया जाता है, तो संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई ज्वलनशील मिश्रण उसमें न रह जाए।

(च) प्रत्येक परित्यक्त वॉल्ट में एक उपयुक्त कॉम्पैक्ट सामग्री भरी होनी चाहिए।

खंड 9: स्थल पुनर्स्थापन

स्थल को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित स्थिति में लाने के बाद,

• स्थल को भू-स्वामियों / स्थानीय प्राधिकारियों के साथ आपसी सहमत स्थिति में पुनर्स्थापित करें।

तरल और ठोस अपशिष्ट का भारतीय पर्यावरण विनियमों के अनुसार सुरक्षित तरीके से निपटान किया जाना चाहिए।

तृतीय पक्ष कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक पत्र प्राप्त करें कि स्थल को पुनर्स्थापित कर दिया गया है और यहाँ से सभी अवरोधों को हटा दिया गया है।

खंड 10 : तटीय उत्पादन स्थल डीकमिशनिंग आवेदन प्रक्रिया

